संख्या: 13/2026/131/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2A)

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

2. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2026

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/ फेज-1) एवं (स्टेज-2/ फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 2629/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ नौ0अ0ए0जे0/ गौतमबुद्धनगर दिनांक 26 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अधिग्रहीत 06 ग्रामों की 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित 07 ग्रामों की अर्जित की जा रही 189.7622 हैक्टेयर भूमि के हितबद्ध कृषकों के लिए प्रतिकर की दर ₹4300 मात्र (प्रतिकर रू0 ₹3100 + एक्सग्रेशिया ₹1200 अर्थात् बाजार मूल्य ₹1550 + तोषण ₹1550 + एक्सग्रेशिया ₹1200) प्रति वर्गमीटर दिए जाने पर विचार करते हुए निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण (स्टेज-2/ फेज-1) एवं (स्टेज-2/ फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 29 जनवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

(1) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अधिग्रहीत 06 ग्रामों की 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित 07 ग्रामों की अर्जित की जा रही 189.7622 हैक्टेयर भूमि के हितबद्ध कृषकों के लिए प्रतिकर की दर ₹4300 मात्र (प्रतिकर रू0 ₹2300 + एक्सग्रेशिया ₹2000 अर्थात् बाजार मूल्य ₹1150 + तोषण ₹1150 + एक्सग्रेशिया ₹2000) प्रति वर्गमीटर दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए भूमि अधिग्रहण से विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर के 07 ग्रामों (जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, तिरथली, धनपुरा व मेहन्दीपुर बांगर) की 189.7622 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा-19(1) के अधीन अधिसूचना संख्या 47/2025/542/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2) दिनांक 02 मई, 2025 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत 14 ग्रामों (ग्राम थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबीता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही) की 1857.7706 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की अधिसूचना संख्या-43/2025/508/छप्पन-2025-31/2016 (स्टेज-2ए) दिनांक 11.04.2025 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत 14 ग्रामों (ग्राम थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबीता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही) की 1857.7706 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की अधिसूचना संख्या-43/2025/508/छप्पन-2025-31/2016 (स्टेज-2ए) दिनांक 11.04.2025 को जारी की गयी है, जिसके शुद्धि-पत्र की अधिसूचना संख्या 79/2025/1107/छप्पन-2025-31/2016(स्टेज-2ए) दिनांक 27 अगस्त, 2025 को जारी करते हुए राजस्व ग्राम बनवारीवास का अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 84.7945 हैक्टेयर के स्थान पर 84.8635 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम जेवर बांगर का अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 63.0722 हैक्टेयर के स्थान पर 63.1197 हैक्टेयर तथा परियोजना हेतु वांछित कुल क्षेत्रफल 1857.7706 हैक्टेयर के स्थान पर 1857.8871 हैक्टेयर संशोधित किया गया। अधिसूचना संख्या 79/2025/1107/छप्पन-2025-31/2016(स्टेज-2ए) दिनांक 27 अगस्त, 2025 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5) नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19(1) के अन्तर्गत 14 ग्रामों (ग्राम थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबीता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही) की 1857.8871 हैक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की अधिसूचना संख्या- 91/2025/1381/छप्पन-2025-31/2016 (Stage-2ए) दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0- 13/2026/131(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक/नियोजन/राजस्व/आवास एवं शहरी नियोजन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।